# अध्याय-8
# त्रिस्तरीय पंचायतों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन

- पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित राशि
- ग्राम पंचायतों के आय की संरचना
- ग्राम पंचायतों के व्यय की संरचना
- जनपद पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा
- जिला पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा
- लेखांकन एवं अंकेक्षण
- मानव संसाधन

8.1 पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि पंचायतें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भरता हेतु सतत् प्रयत्नशील हों, स्थानीय संसाधनों की इस तरह पहचान कर सकें कि संसाधनों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें, कर संग्रहण की व्यवस्था नियमित और आर्थिक रूप से लाभकारी हो, तथा मितव्यमिता का पालन हो। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के वित्तीय स्थिति का इस अध्याय में विस्तृत अध्ययन किया गया है, तथा इनकी आर्थिक प्रवृत्तियों के ग्रामीण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को भी इंगित किया गया है। राज्य में अनिवार्य करों के साथ साथ वैकल्पिक करों की वसूली की भी संभावनाएँ बेहतर हैं, इन संभावनाओं का दोहन नहीं किया जा सका है।

## पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण

8.2 राज्य के बजट पत्रों के अनुसार 2017–22 के दौरान राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कुल 11,056 करोड रूपये अंतरित किये गये, जिसमें 54.4% हिस्सेदारी केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर हस्तांतरित राशि की तथा 45.6% राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि की है। वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य सरकार से हस्तांतरित राशि 5,041 करोड़ रुपये थी, जिसमें 80% हिस्सेदारी राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के विरुद्ध वास्तविक हस्तांतरित राशि की तथा 20% हिस्सेदारी समनुदेशित करों से संग्रहित राशि से वास्तविक अंतरित राशि की है। (तालिका 8.1)

### तालिका 8.1
### पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक अंतरण

(राशि करोड़ रूपये)

| क्र | विवरण | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | योग (2017–22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | समनुदेशित करें | 274.8 | 61.8 | 183.2 | 176.1 | 314.2 | 1010.0 |
| 2 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के विरूद्ध प्राप्त राशि | 945.7 | 839.1 | 748.5 | 617.9 | 880.3 | 4031.4 |
| 3 | राज्य सरकार से हस्तांतरण (1+2) | 1220.5 | 900.9 | 931.7 | 794.0 | 1194.5 | 5041.4 |
| 4 | केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि | 1022.2 | 1047.9 | 1415.9 | 1454.0 | 1075.0 | 6014.9 |
| योग (3+4) | | **2242.7** | **1948.8** | **2347.6** | **2248** | **2269.5** | **11056.3** |

स्रोत– बजट पत्र

## समनुदेशित राजस्व

8.3 ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से कुछ करों के बँटवारे के रूप में समनुदेशित राजस्व प्राप्त होता है। समनुदेशित राजस्व के मुख्यतः पाँच घटक हैं – गौण खनिज की रॉयल्टी, पंजीयन शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क एवं उपकर, भू–राजस्व पर उपकर, ग्रामीण निधि उपकर तथा आबकारी शुल्क में अधिभार। बजट पत्रों के अनुसार 2017–22 के बीच त्रिस्तरीय पंचायतों को 1,010 करोड़ रू. की राशि अंतरित की गई, जिसमें

79.1:(799 करोड़ रु.) गौण खनिज की रॉयल्टी से अंतरण तथा 20.9% (210.7 करोड़ रू.) पंजीयन शुल्क से अनुदान के रूप में अंतरण हुआ। भू–राजस्व ग्रामीण विकास निधि तथा आबकारी अधिभार से कोई भी राशि अंतरित नहीं की गई है। (तालिका 8.2)

## तालिका 8.2
## पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशित राजस्व का वास्तविक अंतरण

(राशि करोड़ रूपये)

| विवरण | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | योग (2017–22) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गौण खनिज की रॉयल्टी | 274.8 | 37.1 | 127.7 | 115.6 | 244.2 | 799.3 |
| स्टाम्प और पंजीयन शुल्क | 0 | 24.7 | 55.4 | 60.6 | 70 | 210.7 |
| योग | **274.8** | **61.8** | **183.2** | **176.1** | **314.2** | **1010.0** |

स्रोत –बजट पत्र अनुसार

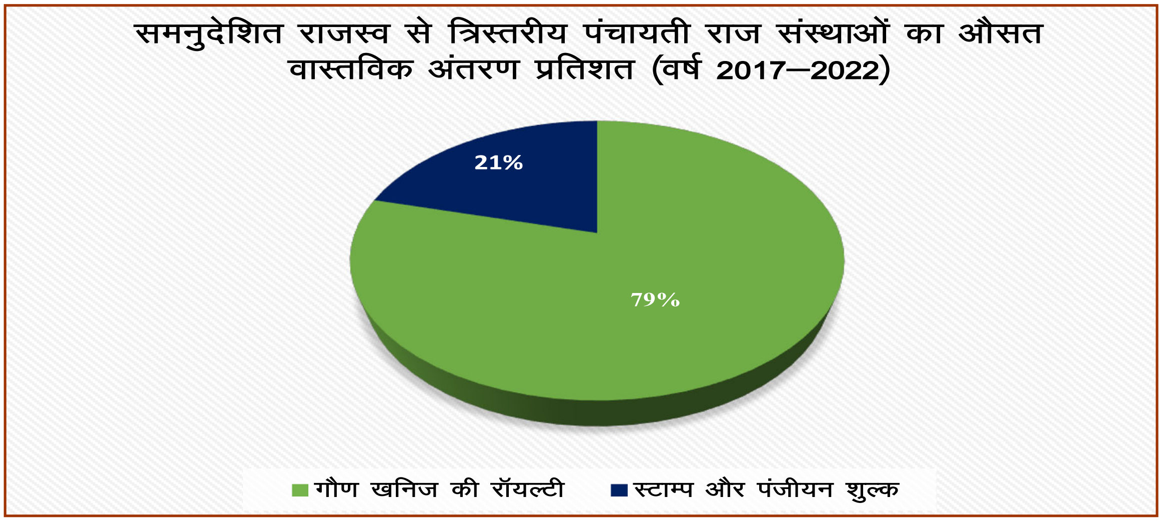


8.4 वित्त लेखा 2021–22 के अनुसूची 22 में लोक लेखा के आरक्षित निधि के अन्तर्गत पंचायत भू–राजस्व उपकर तथा पंजीयन शुल्क निधि में 181.53 करोड़ उपलब्ध है। यह राशि ग्रामीण निकायों को अन्तरण से संबंधित प्रतीत होती है, जिस पर कार्यवाही की आवश्यकता है।

8.5 वर्ष 2023–24 के बजट में लोक–लेखा में ग्रामीण विकास निधि में 30 करोड़ उपलब्ध है, इसके संवितरण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

8.6 आयोग अनुशंसा करती है कि, **"राज्य के बजट पत्र में लोक लेखा के आरक्षित निधि के अंतर्गत, भू–राजस्व उपकर तथा पंजीयन शुल्क में उपलब्ध 181.53 करोड़ रू. तथा ग्रामीण विकास निधि में उपलब्ध 30 करोड़ रू. को पंचायतों को उपलब्ध कराने हेतु आगामी बजट में प्रावधान किया जाए तथा ये राशियाँ भविष्य में नियमित रूप से पंचायतों को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए"।**

**8.7** आबकारी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार (अधिसूचना अनुलग्नक –8.1) आबकारी शुल्क में स्थानीय निकायों हेतु 10% अधिभार लगाया गया है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक रू. 1431.17 करोड़ का अधिभार प्राप्त हुआ है। इसे ग्रामीण एवं नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन बजट में वितरण हेतु प्रावधान नहीं है। वर्ष 2010–11 से वर्ष 2016–17 तक इस मद में प्राप्त राशि की जानकारी भी उपलब्ध नही हैं।

**8.8** आयोग यह अनुशंसा करती है कि **''वर्ष 2010 से आबकारी शुल्क पर स्थानीय निकायों हेतु 10 प्रतिशत लगाये गये अधिभार की गणना कर शासन अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्थानीय निकायों को अवशेष राशि का वितरण किया जाए तथा आगामी बजट में इसके नियमित भुगतान हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किये जायें।''**

## सैंपर ग्राम पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ

**8.9** राज्य वित्त आयोग ने विभिन्न मदों के द्वारा ग्राम पंचायतों को अंतरित राशि के अध्ययन हेतु 5,950 ग्राम पंचायतों के वित्तीय प्राप्तियों का विश्लेषण किया है। सैंपल साइज – 5,950 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों के द्वारा वर्ष 2017–22 के बीच कुल 6,149 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। सैंपल ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में ग्राम पंचायतों की स्वयं के स्रोत से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 3% रही हैं। इन सैंपल ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में लगभग दो तिहाई प्राप्तियाँ, स्वयं के गैर कर राजस्व की हैं। समनुदेशित प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों में लगभग 5% है, ग्राम पंचायतों को कुल प्राप्तियों में केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्राप्तियाँ, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्राप्तियों की तुलना में अधिक है। पूंजीगत प्राप्तियां कुल प्राप्तियों की लगभग 1 प्रतिशत है। (तालिका – 8.3)

### तालिका 8.3
### सैम्पल ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी

(आंकड़े प्रतिशत में)

| विवरण | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **(I) ग्राम पंचायतों की स्वयँ के स्रोत से राजस्व प्राप्तियाँ(1+2)** | **3** | **3** | **3** | **4** | **3** |
| (1) ग्राम पंचायतों का कर राजस्व | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (2) ग्राम पंचायतों का गैर कर राजस्व | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **(II)राज्य शासन से प्राप्तियाँ (3+4+5+6+7)** | **53** | **56** | **40** | **48** | **46** |
| (3)समनुदेशित प्राप्तियाँ | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| (4)राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्तियाँ | 28 | 30 | 21 | 25 | 25 |
| (5)राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| (6) विधायक निधि | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| (7) अन्य प्राप्तियाँ | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| **(III) केंद्र शासन से प्राप्तियाँ (8+9+10)** | **43** | **39** | **57** | **47** | **49** |
| (8)14वें वित्त आयोग अनुसार | 41 | 37 | 54 | 12 | 2 |
| (9)15वें वित्त आयोग अनुसार | 0 | 0 | 1 | 34 | 46 |
| (10)सांसद निधि | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| **(iv) ऋण स्थिति के रूप में प्राप्तियाँ** | **1** | **2** | **1** | **1** | **1** |
| **(v) कुल योग** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

(Figures are rounded off), स्रोतः–आयोग द्वारा संकलित आंकड़े

## ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर राजस्व

8.10 ग्राम पंचायतों को वित्तीय आत्मनिर्भरता हेतु प्रेरित करने के लिए कर अधिरोपण तथा उद्–ग्रहण की शक्ति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 77 के अंतर्गत पंचायतों को कर राजस्व अधिरोपण का अधिकार है। कर राजस्व को अनिवार्य कर तथा वैकल्पिक कर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8.11 ग्राम पंचायतें अनिवार्य कर के रूप में, निजी भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर, निजी शौचालयों पर कर, यदि उसकी सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर प्रकाश कर, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर वृत्ति कर, उन व्यक्तियों पर बाजार फीस जो ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान या उसमें के किसी भवन या संरचना में विक्रय के लिए माल रखते हैं, तथा ग्राम पंचायत के, या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या किसी स्थान में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस, अनिवार्य कर के रूप में वसूल कर सकती है।

8.12 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा सैंपल ग्राम पंचायतों के अध्ययन के अनुसार सैंपल ग्राम पंचायतों में 2017–22 के बीच कुल अनिवार्य कर मांग 78.53 करोड़ रु. थी, जिसमें लगभग 51% (39.93 करोड़ रु.) ही वसूल की जा सकी।

8.13 ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित अनिवार्य करों की वसूली बहुत कम स्तर पर है। यदि सैंपल ग्रामों के विश्लेषण को राज्य स्तर पर देखा जाये तो, आधे से कुछ अधिक ही ग्राम पंचायतें अनिवार्य कर वसूल करती है, जिनमें लगभग 20% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जो करारोपण तो करती हैं, परन्तु अन्यान्य कारणों से वसूल नहीं कर पाती हैं। राज्य में लगभग 40% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जो करारोपण ही नहीं कर रही हैं। उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2017–22 के बीच प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत 'अनिवार्य कर' प्राप्ति लगभग 13,419 रु. है, तथा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत 'अनिवार्य कर' प्राप्ति लगभग 8 रु. है। (तालिका 8.4)

### तालिका 8.4
### सैम्पल ग्राम पंचायतों की ''अनिवार्य करों'' में कर मांग एवं कर वसूली की स्थिति

(राशि करोड़ रूपये)

| विवरण | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 |
|---|---|---|---|---|---|
| कर माँग | 13.04 | 13.93 | 17.72 | 15.76 | 18.08 |
| कर वसूली | 7.57 | 7.88 | 8.78 | 7.59 | 8.11 |
| कर वसूली का प्रतिशत (%) | 58 | 57 | 50 | 48 | 45 |
| करारोपण करने वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत (%) | 55 | 53 | 55 | 57 | 58 |
| करारोपण करने पर वसूल ना कर सकने वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत (%) | 17 | 17 | 16 | 21 | 20 |
| प्रति ग्राम पंचायत औसत कर प्राप्ति (रूपये) | 12723 | 13238 | 14755 | 12751 | 13630 |
| प्रति व्यक्ति औसत कर प्राप्ति (रू.) | 7.56 | 7.87 | 8.77 | 7.58 | 8.10 |

8.14 सैंपल ग्राम पंचायतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित अनिवार्य करों में सर्वाधिक कर मांग, भवनों पर संपत्ति कर वसूलने पर है, तत्पश्चात् क्रमशः प्रकाश कर, वृत्ति या व्यापार कर, पशु विक्रय पंजीयन कर तथा निजी शौचालयों पर कर वसूलने से है। अनिवार्य कर मांगों में भूमि–भवनों पर संपति कर मांग, सबसे बड़ी मद होने के बावजूद इसकी कर वसूली 40% भी नहीं हो पाती है, अनिवार्य कर मांगों में क्रमशः पशु विक्रय पंजीयन कर मांग तथा प्रकाश कर मांग की मदों के अंतर्गत वसूली का प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक कर वसूली की राशि, भवनों पर संपत्ति कर वसूली के पश्चात् प्रकाश कर वसूली से होती है। विगत वर्षों में व्यापार कर से कर वसूली, पशु विक्रय पंजीयन कर की तुलना में बढ़ी है।

8.15 यद्यपि गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अनिवार्य करारोपण करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता अनुसूचित क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, परंतु करारोपण करने और वसूल ना करने वाले ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता भी गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही अधिक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण वसूल नहीं कर पाना निराशाजनक है। राज्य वित्त आयोग के सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार 2017–22 के बीच गैर अनुसूचित क्षेत्र में, प्रति ग्राम पंचायत, प्रति वर्ष औसत अनिवार्य कर प्राप्ति 16,621 रु. है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में, प्रति ग्राम पंचायत, प्रति वर्ष औसत, अनिवार्य कर प्राप्ति मात्र 9,389 रु. है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत अनिवार्य कर प्राप्ति 9.4 रु. है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिए यह राशि मात्र 6.0 रु. है।

## ग्राम पंचायतों का वैकल्पिक कर राजस्व

8.16 पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 की अनुसूची 2 में ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित वैकल्पिक करों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतें, पंचायत अधिनियम के धारा 77 के अनुसूची 1 के अंतर्गत न आने वाले भवनों पर कर, पशुओं द्वारा की जाने वाली सवारी से उनके स्वामी पर कर, पंचायत क्षेत्र के भीतर बैलगाड़ी, साइकिलों अथवा रिक्शों पर कर यदि वे किराये पर चलाई जाती हैं, जल कर, सराय, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों तथा वधशालाओं पर कर, जल निकास कर, मण्डी क्षेत्र को छोड़कर, ग्राम पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, के अर्थ के अंतर्गत क्रेता, अभिकर्ता, आड़तिया या मापक की वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर कर, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर कर, कूड़ा कचरा हटाने तथा उसके व्यपन के लिए सफाई कर, पंचायत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मोटरयानों से भिन्न यानों के स्वामियों पर प्रवेश कर, बैलगाड़ी अथवा टांगा स्टैण्ड के लिए शुल्क, पंचायत अधीन चारागाहों में पशुओं को चराने के लिए शुल्क, सार्वजनिक स्थल पर अस्थायी संरचना निर्माण तथा उसके उपयोग पर शुल्क, वैकल्पिक कर के अंतर्गत अधिरोपित कर सकती हैं।

8.17 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के सैंपल ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार 2017–22 के बीच कुल वैकल्पिक कर मांग 40.95 करोड़ रू. थी, जिसमें 83% (34.06 करोड़ रू.) कर वसूली कर ली गई।

8.18 सैंपल ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य करों की वसूली का प्रतिशत लगभग 51% है, जबकि वैकल्पिक करों की वसूली का प्रतिशत 83.2% हैं, परिणामस्वरूप "अनिवार्य करों" के अंतर्गत अधिक कर माँग की राशि होने के बावजूद, "अनिवार्य कर" तथा "वैकल्पिक कर" की वास्तविक वसूली की राशि के बीच अंतर कम हो जाता है।

8.19 यद्यपि वैकल्पिक करों की वसूली की प्रतिशतता अधिक है। परंतु सैंपल ग्राम पंचायतों में लगभग 20% ग्राम पंचायतें ही वैकल्पिक कर लगा रही हैं, उनमें से 3% ग्राम पंचायतें करारोपण तो करती हैं, परंतु विविध कारणों से वसूल नहीं कर पाती हैं। वैकल्पिक कर मदों पर करारोपण ना करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता 77% से अधिक है। वित्त आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार 2017–22 के बीच प्रति ग्राम पंचायत, प्रति वर्ष औसत वैकल्पिक कर प्राप्ति 11,447 रु. है, तथा प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष औसत "वैकल्पिक कर" प्राप्ति का औसत लगभग 7 रु. है। ग्राम पंचायतों की वैकल्पिक कर मदों की वसूली के प्रति अनिच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, तथा इस हेतु अनुकुल संस्थागत प्रेरणा का अभाव ग्राम पंचायतों के वित्तीय आत्मनिर्भरता पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जबकि इस बात की संभावना निहित है कि वैकल्पिक करों की वसूली की प्रतिशतता अधिक हो सकती है।

## तालिका 8.5
## सैम्पल ग्राम पंचायतों की ''वैकल्पिक करों'' में कर मांग एवं कर वसूली की स्थिति

(राशि करोड़ रूपये)

| विवरण | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 |
|---|---|---|---|---|---|
| कर माँग | 6.23 | 7.36 | 8.03 | 9.51 | 9.82 |
| कर वसूली | 5.45 | 6.41 | 7.05 | 7.42 | 7.73 |
| कर वसूली का प्रतिशत (%) | 87 | 87 | 88 | 78 | 79 |
| करारोपण करने वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत (%) | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| करारोपण करने पर वसूल ना कर सकने वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| करारोपण ना करने वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत (%) | 77 | 77 | 77 | 79 | 78 |
| प्रति ग्राम पंचायत औसत कर प्राप्ति (रूपये) | 9153 | 10775 | 11847 | 12475 | 12987 |
| प्रति व्यक्ति औसत कर प्राप्ति (रू.) | 5.44 | 6.40 | 7.04 | 7.41 | 7.72 |

8.20 सैंपल ग्राम पंचायतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि "वैकल्पिक कर" मदों के अंतर्गत सर्वाधिक कर मांग, जल कर है, तत्पश्चात् क्रमशः जल निकास कर तथा सफाई कर के अंतर्गत कर माँग राशि है। वसूली की प्रतिशतता भी लगभग 85% है, परिणामस्वरूप वैकल्पिक करों के अंतर्गत सर्वाधिक कर वसूली भी जल कर से ही प्राप्त होती है। जल निकासी कर तथा सफाई कर वसूली की प्रतिशतता भी संतोषजनक है, तथा वैकल्पिक कर प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में वृद्धिमान हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कर वसूली की प्रतिशतता, अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है।

8.21 राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 27% से 29% ग्राम पंचायतें वैकल्पिक कर वसूल कर रही हैं, जिनमें 4ः ग्राम पंचायतें करारोपण के बावजूद विविध कारणों से कर वसूल नहीं कर पा रही हैं, जबकि 70% से 72%, ग्राम पंचायतें वैकल्पिक कर मदों पर करारोपण ही नहीं करती हैं। अनुसूचित क्षेत्र में यह स्थिति और भी अधिक निराशाजनक है। अनुसूचित क्षेत्र में मात्र 9% से 11% ग्राम पंचायतें ही वैकल्पिक कर मदों पर करारोपण कर रही हैं, जिनमें 2% ग्राम पंचायतें करारोपण के बावजूद अन्यान्य कारणों से कर वसूल नहीं कर पा रही हैं, जबकि 85% से अधिक ग्राम पंचायतें करारोपण ही नहीं कर रही हैं।

8.22 सैंपल ग्राम पंचायतों के अध्ययन के अनुसार 2017–22 के बीच गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत वैकल्पिक कर प्राप्ति 18,399 रु. है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में यह मात्र 2,695 रु. है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि 2017–22 के बीच गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत अनिवार्य कर प्राप्ति 16,621 रु. की तुलना में, वैकल्पिक कर प्राप्ति 18,399 रु. है।

8.23 गैर अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2017–18 से 2021–22 में मध्य प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन अनिवार्य कर प्राप्ति 9.4 रू. तथा अनुसूचित क्षेत्र में 6 रू है। उक्त अवधि में गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन वैकल्पिक कर प्राप्ति 10.4रू तथा अनुसूचित क्षेत्र में 1.7 रू. है।

8.24 राज्य वित्त आयोग के ग्राम पंचायतों के सैंपल सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है, कि अनुसूचित क्षेत्र में वैकल्पिक कर मदों पर करारोपण की प्रेरणा का नितांत अभाव है। परिणामस्वरूप प्रति ग्राम पंचायत औसत वैकल्पिक कर प्राप्ति और प्रति व्यक्ति औसत वैकल्पिक कर प्राप्ति निम्न स्तर पर है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रति ग्राम पंचायत औसत वैकल्पिक कर प्राप्ति की तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित क्षेत्र में भी इस मद से आय की संभावना बहुत अधिक है।

## ग्राम पंचायतों का गैर कर राजस्व

8.25 गैर कर राजस्व के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं के विक्रय पर पंजीयन शुल्क तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में विक्रय के लिए बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार शुल्क, जल निवासी कर, पंचायत क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कर, पंचायत चारागाह क्षेत्र में पशुओं को चराने के लिए शुल्क, सार्वजनिक स्थल पर अस्थायी संरचना निर्माण तथा उसके उपयोग पर शुल्क बैलगाड़ी अथवा टांगा स्टैण्ड के लिए शुल्क तथा सरायों, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों तथा वधशालाओं पर कर शामिल किया गया है।

8.26 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा सैंपल ग्राम पंचायतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राज्य में गैर कर राजस्व की प्राप्ति कर राजस्व की तुलना में अधिक है।

### तालिका 8.6
### सैम्पल ग्राम पंचायतों की गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ

(राशि लाख रू., हिस्सेदारी प्रतिशत में)

| विवरण | 2017–18 | | 2018–19 | | 2019–20 | | 2020–21 | | 2021–22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | योग में हिस्से दारी | राशि | योग में हिस्से दारी | राशि | योग में हिस्से दारी | राशि | योग में हिस्से दारी | राशि | योग में हिस्से दारी |
| भूमि / भवन किराया | 114.20 | 6.95 | 156.59 | 9.12 | 175.73 | 9.65 | 132.15 | 7.04 | 164.96 | 9.08 |
| शुल्क | 81.25 | 4.94 | 80.80 | 4.70 | 74.23 | 4.08 | 66.23 | 3.53 | 86.20 | 4.75 |
| कांजी हाउस | 16.56 | 1.01 | 10.93 | 0.64 | 13.20 | 0.72 | 15.22 | 0.81 | 12.59 | 0.69 |
| ब्याज | 820.17 | 49.92 | 764.00 | 44.48 | 757.36 | 41.58 | 1024.82 | 54.62 | 920.51 | 50.68 |
| अन्य | 610.94 | 37.18 | 705.43 | 41.07 | 800.95 | 43.97 | 637.88 | 34.00 | 631.94 | 34.79 |
| **योग** | **1643.12** | **100.00** | **1717.75** | **100.00** | **1821.48** | **100.00** | **1876.30** | **100.00** | **1816.20** | **100.00** |

**8.27** राज्य वित्त आयोग के सैंपल ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण के अनुसार 2017–22 के बीच इन सैंपल ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत औसत 29,831 रुपये की राशि प्रति वर्ष, गैर कर के रूप में प्राप्त हुई है। गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत ग्राम पंचायतों को ब्याज की राशि है, जो कि कुल गैर कर राजस्व राशि की लगभग एक तिहाई से अधिक है।

**8.28** सैंपल ग्राम पंचायतों में ब्याज की राशि विगत 05 वर्षो में औसतन 857.37 लाख रूपये है, जो कि कुल गैर कर राजस्व का 48.3% है।

**8.29** आयोग द्वारा एकत्रित समंकों के आधार पर सैंपल ग्राम पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व से प्राप्ति का अनुमान रू. 159.45 करोड़ लगभग है, जिसमें से 63.78 करोड़ पंचायतों द्वारा वसूल की जा रही है, जो मात्र 40% है।

**8.30** ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में निर्धारित दरों के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा कर अथवा फीस अधिरोपित किया जा रहा है। वर्तमान में आयोग द्वारा एकत्रित संमक के आधार पर ग्राम पंचायतों का स्वयँ के स्रोतों से अनुमानित आय 159.45 करोड़ रू. प्रतिवर्ष है। ग्राम पंचायतों के वित्तीय प्राप्तियों में स्वयँ के राजस्व का योगदान मात्र 03 प्रतिशत है, जिसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, इस हेतु आयोग की निम्नलिखित अनुसंशाएँ हैं –

1. **पंचायतों के जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक कर्मियों द्वारा नागरिकों से कर अदायगी के संबंध में सतत् विमर्श कर जागरूकता लाने के प्रयास किये जायें।**
2. **ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में निर्धारित कर दरों के पुनरीक्षण पर विचार किया जाए तथा कर दरों में वृद्धि और आवश्यकतानुरूप युक्तियुक्तकरण की अनुकूलतम संभावनाओं की तलाश किया जाए।**
3. **ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में दरों का निर्धारण न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के आधार पर किया गया है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायतें विहित प्रक्रिया के अंतर्गत करारोपण की राशि निर्धारित करती हैं, तत्पश्चात् निर्धारित कर अथवा फीस अधिरोपित करती हैं। राज्य में 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा कर अथवा फीस का अधिरोपण ही नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त नियम में यह प्रावधान किया जाए कि "यदि ग्राम पंचायत द्वारा कर अथवा फीस की दर का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो नियम में उल्लेखित न्यूनतम कर अथवा फीस की दर स्वयमेव अधिरोपित होगी, तथा इसकी वसूली अनिवार्य होगी," का नियम में प्रावधान करने पर विचार किया जाए।**

## ग्राम पंचायतों के व्यय की संरचना

**8.31** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा सैंपल ग्राम पंचायतों के सर्वे – अध्ययन के अनुसार सैंपल पंचायतों 2017–22 के मध्यम 5,000.3 करोड़ रु. व्यय हुए। इन ग्राम पंचायतों में से प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत व्यय 16.80 लाख रु. है। ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे कुल व्यय में लगभग 59% व्यय, पूंजीगत व्यय है। ग्राम पंचायतों द्वारा

किये जा रहे लगभग 27% राजस्व व्यय है, जिसमें से अधिकांश संधारण व्यय जो 25% है। शेष 14% व्यय अन्य व्यय तथा कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत की जा रही है। (तालिका 8.7)

8.32 सैंपल ग्राम पंचायतों में से प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत राजस्व व्यय 4.49 लाख रु. है, जिसमें प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत स्थापना व्यय 26,118 रु. तथा प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष संधारण व्यय 4,23,328 रु है। सैंपल ग्राम पंचायतों में से प्रति ग्राम प्रति वर्ष औसत पूंजीगत व्यय 9,88,269 रु. है।

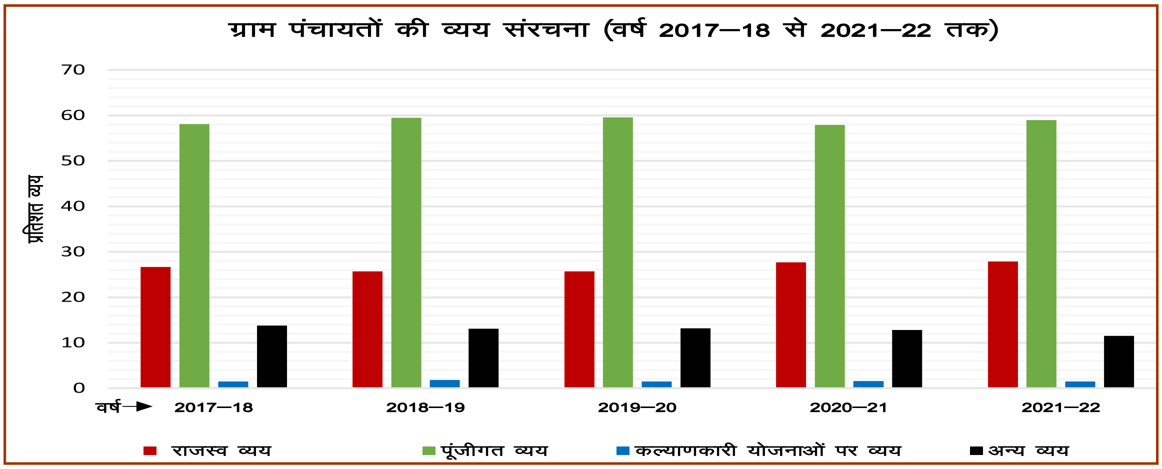


8.33 संधारण व्यय के अंतर्गत, सर्वाधिक व्यय, जल आपूर्ति सुधार हेतु किया जा रहा है। जल आपूर्ति सुधार हेतु व्यय की मात्रा तथा प्रतिशतता लगातार बढ़ती जा रही है। सैंपल ग्राम पंचायतों के लिए 2017–22 के बीच प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत जल आपूर्ति सुधार हेतु व्यय 85,283 रु. है तथा इस अवधि में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल आपूर्ति सुधार हेतु औसत व्यय में 50.7रू है। 2017–22 के बीच सैंपल ग्राम पंचायतों में संधारण व्यय के विभिन्न घटकों का प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत व्यय क्रमशः सड़क सुधार – 63,710 रु., ठोस अपशिष्ट निराकरण व्यय – 59,765, भवन सुधार – 52,819रू, नाली सुधार – 23,734 रू. तथा प्रकाश व्यवस्था सुधार – 19,393 रु. है। (तालिका 8.8)

## तालिका 8.7
## सैम्पल ग्राम पंचायतों के व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

| विवरण | 2017–18 | | 2018–19 | | 2019–20 | | 2020–21 | | 2021–22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत |
| (1)राजस्व व्यय (क + ख) | 282.3 | 26.7 | 259.0 | 25.7 | 242.6 | 25.7 | 279.9 | 27.7 | 273.3 | 27.9 |
| (क) स्थापना व्यय | 15.2 | 1.5 | 16.0 | 1.6 | 14.7 | 1.6 | 16.1 | 1.6 | 15.7 | 1.6 |
| (ख) संधारण व्यय | 267.1 | 25.2 | 243.0 | 24.1 | 227.9 | 24.2 | 263.8 | 26.1 | 257.6 | 26.3 |
| (2)पूंजीगत व्यय | 614.7 | 58.1 | 600.4 | 59.5 | 561.9 | 59.6 | 585.3 | 57.9 | 577.8 | 59 |
| (3) कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय | 15.7 | 1.5 | 17.8 | 1.8 | 13.7 | 1.5 | 16.4 | 1.6 | 14.6 | 1.5 |
| (4)अन्य व्यय | 145.8 | 13.8 | 131.9 | 13.1 | 124.9 | 13.2 | 129.5 | 12.8 | 112.4 | 11.5 |
| **योग** | **1058.6** | **100** | **1009.2** | **100** | **943.1** | **100** | **1011.2** | **100** | **978.2** | **100** |

8.34 गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष औसत राजस्व व्यय 280 रू. है, जबकि यह व्यय अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 249 रु. है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष संधारण व्यय (260 रू.), अनुसूचित क्षेत्र में प्रति ग्राम पंचायत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष संधारण व्यय (240 रू.) से अधिक है, इसी तरह स्थापना व्यय भी गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 20 रू. है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र में मात्र 9 रु. है।

8.35 गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में संधारण व्यय सर्वाधिक जल आपूर्ति सुधार हेतु हो रहा है, जो कुल संधारण व्यय के 20% से अधिक है, तत्पश्चात् क्रमशः ठोस अपशिष्ट निराकरण, सड़क सुधार, भवन सुधार, नाली सुधार, प्रकाश व्यवस्था सुधार पर व्यय हो रहा है।

8.36 अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में संधारण व्यय सर्वाधिक सड़क सुधार हेतु हो रहा है, तत्पश्चात् भवन सुधार तथा ठोस अपशिष्ट निराकरण पर हुआ है, परंतु इन ग्राम पंचायतों में भी जल आपूर्ति सुधार हेतु संधारण व्यय विगत वर्षों में लगातार बढ़ता गया हैं तथा 2021–22 में कुल संधारण व्यय के 20% के स्तर पर है।

## तालिका 8.8
## सैपल ग्राम पंचायतों में संधारण व्यय

(राशि करोड़ रूपये)

| विवरण | 2017–18 | | 2018–19 | | 2019–20 | | 2020–21 | | 2021–22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | कुल संधारण व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल संधारण व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल संधारण व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल संधारण व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल संधारण व्यय का प्रतिशत |
| जल आपूर्ति सुधार | 46.9 | 17.6 | 45.7 | 18.8 | 47.4 | 20.8 | 52.7 | 20.0 | 61.0 | 23.7 |
| प्रकाश व्यवस्था सुधार | 9.5 | 3.6 | 10.5 | 4.3 | 10.7 | 4.7 | 14.0 | 5.3 | 12.9 | 5.0 |
| ठोस अपशिष्ट निराकरण | 47.6 | 17.6 | 34.3 | 14.1 | 28.1 | 12.3 | 35.1 | 13.3 | 32.7 | 12.7 |
| सड़क सुधार | 38.9 | 14.6 | 36.6 | 15.1 | 35.3 | 15.5 | 39.7 | 15.0 | 38.9 | 15.1 |
| नाली सुधार | 14.3 | 5.4 | 13.1 | 5.4 | 12.9 | 5.6 | 14.8 | 5.6 | 15.4 | 6.0 |
| भवन सुधार | 31.7 | 11.9 | 32.5 | 13.4 | 28.8 | 12.6 | 32.8 | 12.4 | 31.3 | 12.1 |
| अन्य | 77.9 | 29.2 | 70.2 | 28.9 | 64.7 | 28.4 | 74.6 | 28.3 | 65.3 | 25.4 |
| **योग** | **267** | **100** | **243.0** | **100** | **227.8** | **100** | **263.8** | **100** | **257.6** | **100** |

8.37 2017–22 के बीच सैंपल ग्राम पंचायतों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत व्यय 998.7 रु. है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व व्यय 267.1 रु. तथा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पूँजीगत व्यय 587.2 रु. है। राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, जल आपूर्ति सुधार हेतु 50.7 रू, सड़क सुधार हेतु 37.85 रू, ठोस अपशिष्ट निराकरण हेतु 35.5 रु., भवन सुधार हेतु 31.40 रु.,नाली सुधार हेतु 14.10 रु. तथा प्रकाश व्यवस्था सुधार हेतु 11.5 रु. खर्च हो रहा है।

8.38 वित्त आयोग के सैंपल ग्राम पंचायतों के अध्ययन प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत पूँजीगत व्यय के अनुसार 9,88,269 रु. है। पूंजीगत व्यय के विभिन्न घटकों में प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष औसत व्यय क्रमशः सड़ क निर्माण– 2,49,147 रू., भवन निर्माण– 1,87,992रू., ठोस अपशिष्ट निराकरण हेतु व्यय–1,18,151रू.,

जलापूर्ति–1,09,248रू, नाली निर्माण– 78,171रू. तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु 30,567रू. व्यय हो रहा है। (तालिका 8.10)

## तालिका 8.9
## सैंपल ग्राम पंचायतों में संधारण व्यय (प्रति ग्राम पंचायत, प्रति व्यक्ति)

(राशि रूपये में)

| विवरण | 2017–18 | | 2018–19 | | 2019–20 | | 2020–21 | | 2021–22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रति ग्राम पंचायत औसत व्यय | प्रति व्यक्ति औसत व्यय | प्रति ग्राम पंचायत औसत व्यय | प्रति व्यक्ति औसत व्यय | प्रति ग्राम पंचायत औसत व्यय | प्रति व्यक्ति औसत व्यय | प्रति ग्राम पंचायत औसत व्यय | प्रति व्यक्ति औसत व्यय | प्रति ग्राम पंचायत औसत व्यय | प्रति व्यक्ति औसत व्यय |
| जल आपूर्ति सुधार | 78820 | 46.8 | 76786 | 45.6 | 79597 | 47.3 | 88668 | 52.7 | 102543 | 60.9 |
| प्रकाश व्यवस्था सुधार | 16061 | 9.5 | 17688 | 10.5 | 17925 | 10.6 | 23590 | 14.0 | 21703 | 12.9 |
| ठोस अपशिष्ट निराकरण | 80008 | 47.5 | 57706 | 34.3 | 47221 | 28.1 | 58996 | 35.0 | 54893 | 32.6 |
| सड़क सुधार | 65418 | 38.9 | 61621 | 36.6 | 59359 | 35.3 | 66720 | 39.6 | 65433 | 38.9 |
| नाली सुधार | 24164 | 14.4 | 22088 | 13.1 | 21623 | 12.8 | 24870 | 14.8 | 25927 | 15.4 |
| भवन सुधार | 53350 | 31.7 | 54633 | 32.5 | 48444 | 28.8 | 55076 | 32.7 | 52594 | 31.2 |
| अन्य | 130993 | 77.8 | 117950 | 70.1 | 108779 | 64.6 | 125476 | 74.6 | 109839 | 65.3 |
| **योग** | **448813** | **266.7** | **408472** | **242.7** | **382949** | **227.5** | **443396** | **263.5** | **432933** | **257.3** |

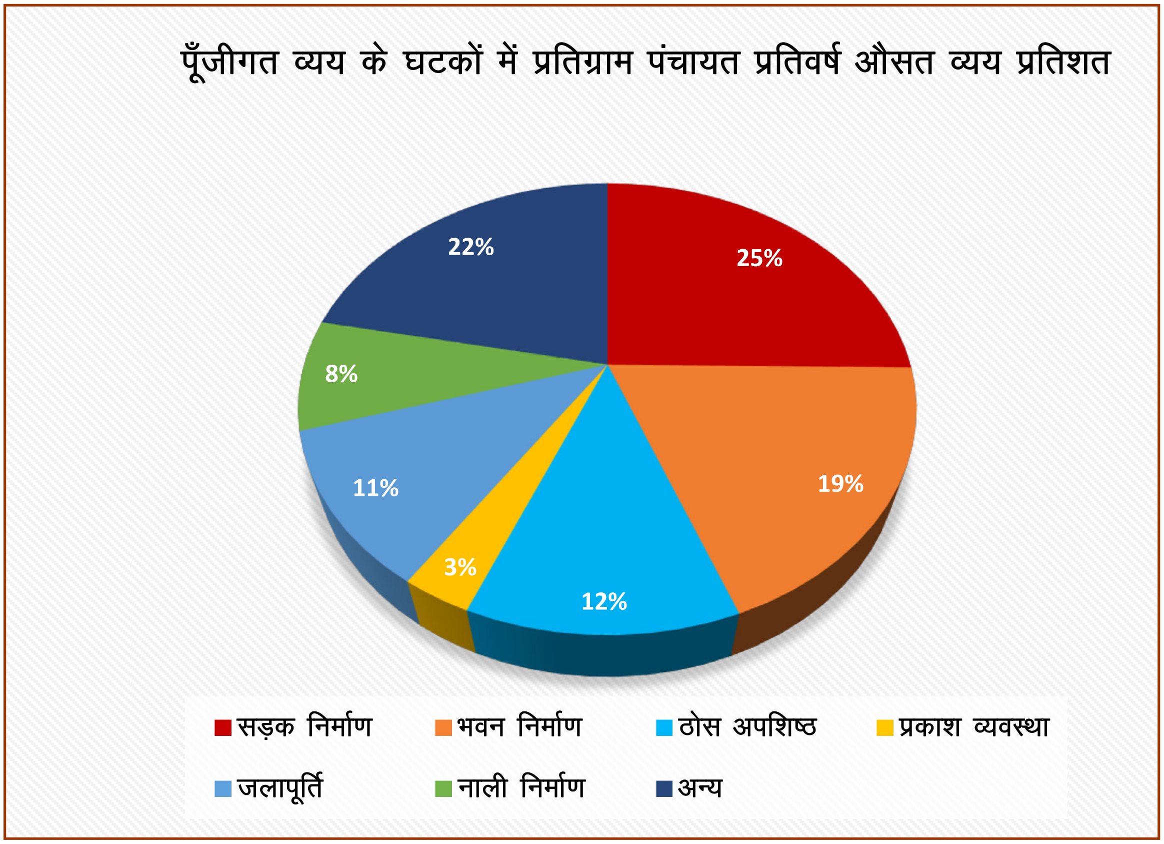

## तालिका 8.10
## सैंपल ग्राम पंचायतों में पूंजीगत व्यय

(राशि करोड़ रू. में)

| विवरण | 2017–18 | | 2018–19 | | 2019–20 | | 2020–21 | | 2021–22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | कुल पूंजीगत व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल पूंजीगत व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल पूंजीगत व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल पूंजीगत व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल पूंजीगत व्यय का प्रतिशत |
| जल आपूर्ति | 47.7 | 7.8 | 51.9 | 8.6 | 60.3 | 10.7 | 69.0 | 11.8 | 96.0 | 16.6 |
| प्रकाश व्यवस्था | 9.8 | 1.6 | 11.7 | 1.9 | 17.0 | 3.0 | 22.6 | 3 | 29.8 | 5.1 |
| ठोस अपशिष्ट निराकरण | 135.0 | 22.0 | 68.4 | 11.4 | 43.8 | 7.8 | 55.9 | 9.6 | 48.3 | 8.4 |
| सड़क निर्माण | 128.9 | 21.0 | 170.3 | 28.4 | 169.9 | 30.2 | 145.9 | 24.9 | 126.2 | 21.8 |
| नाली निर्माण | 45.8 | 7.4 | 44.3 | 7.4 | 43.3 | 7.7 | 47.3 | 8.1 | 51.8 | 8.97 |
| भवन निर्माण | 112.6 | 18.3 | 125.3 | 20.9 | 106.9 | 19.0 | 111.3 | 19.0 | 103.1 | 17.8 |
| अन्य | 134.9 | 22.0 | 128.5 | 21.4 | 120.6 | 21.5 | 133.1 | 22.7 | 122.5 | 21.2 |
| **योग** | **614.7** | **100** | **600.4** | **100** | **561.9** | **100** | **585.3** | **100** | **577.8** | **100** |

8.39 सैंपल ग्राम पंचायत क्षेत्र को गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करके अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक है। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत पूंजीगत व्यय 594 रू. है, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र की में यह 584रू. है।

8.40 अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय सड़क निर्माण हेतु किया जा रहा हैं, तत्पश्चात् क्रमशः भवन निर्माण तथा जलापूर्ति हेतु पूंजीगत व्यय का स्थान आता है। दोनों ही क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति हेतु पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है।

### प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष

8.41 वर्ष 2017–18 में 5950 पंचायतों का प्रारंभिक शेष 635.71 करोड़ और अंतिम शेष 822.65 करोड़ था, जो बढ़ते हुए 2021–22 में क्रमशः 1533.50 तथा 1784.77 करोड़ हो गया। यह दर्शाता है कि विभिन्न कारण से पंचायतों में व्यय की क्षमता नहीं है। इस पर काम करने की आवश्यकता है।

## तालिका 8.11
## सैंपल ग्राम पंचायतों के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र. | विवरण | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 6,35.71 | 8,22.65 | 9,74.79 | 14,11.04 | 15,33.50 |
| 2 | अंतिम शेष | 8,22.65 | 9,74.79 | 14,11.04 | 15,33.50 | 17,84.77 |

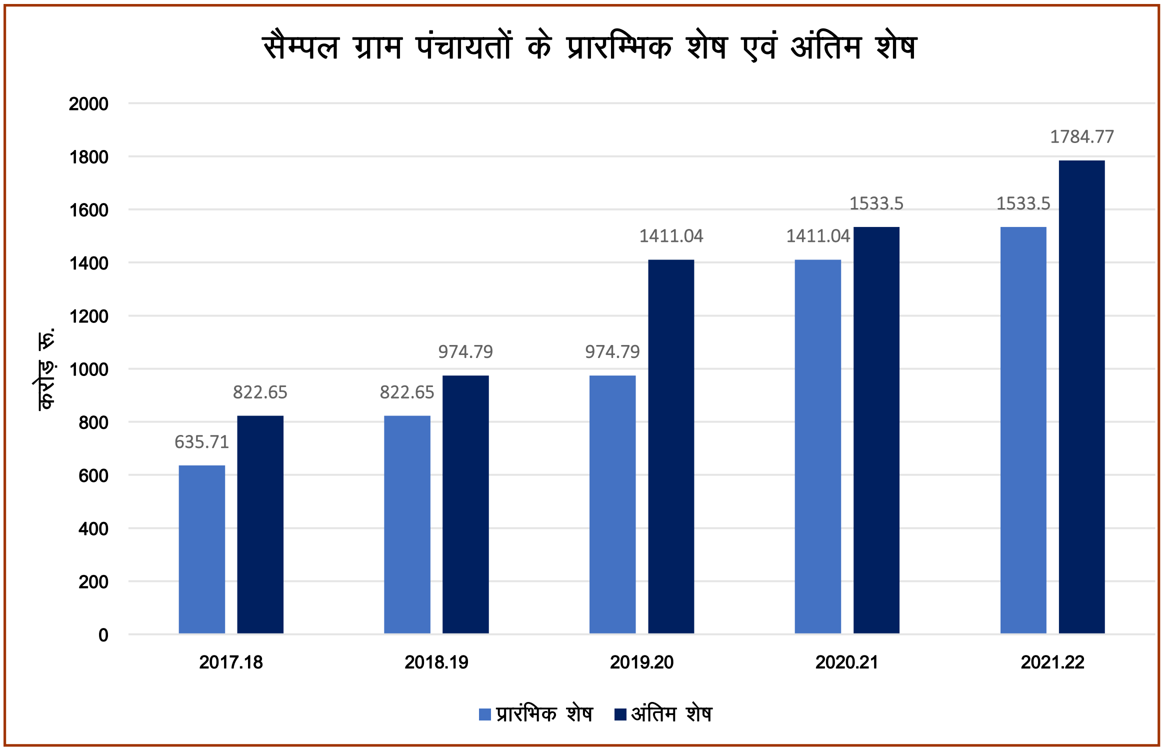


## जनपद पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा

8.42 जनपद पंचायतों के करारोपण के अधिकार सीमित हैं, तथापि जनपद पंचायतें, नाट्य प्रदर्शनों तथा अन्य सार्वजनिक मनोरंजन प्रदर्शनों पर करारोपण कर सकते हैं। जनपद पंचायतों को कृषि भूमि पर विकास कर लगाने तथा जनपद पंचायत में निहित या भूमियों या अन्य उसके द्वारा अनुरक्षित प्रयोजनों के उपयोग या उनके अधिभोग के लिए फीस वसूलने के अधिकार हैं।

8.43 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने राज्य में जनपद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के अध्ययन के लिए 100 जनपद पंचायतों को सैंपल साइज के रूप में शामिल किया है, जो राज्य में कुल जनपद पंचायतों की संख्या का 68.5% है, अतः जनपद पंचायतों के आयोग द्वारा प्रदर्शित वित्तीय स्थितियाँ वास्तविक स्थिति के अनुरूप हैं।

8.44 जनपद पंचायतों की कुल वित्तीय प्राप्तियाँ, तालिका 8.13 में दर्शित है। जनपद पंचायतों की स्वयं के स्रोत से प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों की मात्र 1% हैं, जनपद पंचायतें, अपने वित्तीय दायित्वों और आवश्यकतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार से अंतरण पर निर्भर हैं। जनपद पंचायतों को अपनी कुल प्राप्तियों में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं से प्राप्तियाँ लगभग 19% हैं, जबकि समनुदेशित प्राप्तियाँ 2017–22 के बीच औसत प्रतिवर्ष 13.8% रही हैं। (तालिका 8.12)

## तालिका 8.12
## सैंपल जनपद पंचायतों की प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रू. में)

| | विवरण | 2017–18 | | 2018–19 | | 2019–20 | | 2020–21 | | 2021–22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राशि | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत | राशि | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत | राशि | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत | राशि | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत | राशि | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत |
| I | स्वंय के स्त्रोत से प्राप्तियाँ (1+2) | 3.8 | 1 | 3.2 | 1 | 4.0 | 1 | 2.28 | 0 | 3.7 | 1 |
| 1 | कर राजस्व | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 2 | गैर कर राजस्व | 3.3 | 1 | 3.1 | 1 | 3.9 | 1 | 2.27 | 0 | 3.7 | 1 |
| II | राज्य सरकार से अंतरण (3+4+5+6+7+8) | 404.8 | 99 | 459.0 | 99 | 354.4 | 99 | 369.1 | 70 | 371.4 | 72 |
| 3 | समनुदेशित प्राप्तियाँ | 73.6 | 18 | 59.4 | 13 | 51.0 | 14 | 60.1 | 11 | 68.1 | 13 |
| 4 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्तियाँ | 102.2 | 25 | 100.3 | 22 | 59.6 | 17 | 74.6 | 14 | 84.2 | 16 |
| 5 | राज्य सरकार से किसी योजना से प्राप्त राशि | 95.5 | 23 | 87.7 | 19 | 76.3 | 21 | 76.0 | 14 | 79.4 | 15 |
| 6 | संसद/विधायक निधि | 57.6 | 14 | 67.0 | 15 | 79.4 | 22 | 72.0 | 14 | 65.6 | 13 |
| 7 | ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण हेतु प्राप्त राशि | 36.7 | 9 | 61.5 | 13 | 45.2 | 13 | 45.6 | 9 | 36.7 | 7 |
| 8 | अन्य अनुदान | 39.1 | 10 | 83.0 | 18 | 42.8 | 12 | 40.6 | 8 | 37.5 | 7 |
| III | केंद्र सरकार से अंतरण (13 वें 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 30 | 141.9 | 27 |
| IV | कुल योग | **408.5** | **100** | **462.2** | **100** | **358.4** | **100** | **527.4** | **100** | **517.1** | **100** |

स्रोत :– आयोग द्वारा एकत्रित समंक

**8.45** जनपद पंचायतों की प्राप्तियों में 99% प्राप्तियाँ गैरकर राजस्व मदों से जबकि मात्र 1% प्राप्तियाँ कर राजस्व मदों से प्राप्त होती है। 2017–22 के बीच सैंपल जनपद पंचायतों द्वारा प्राप्त कर राजस्व (मनोरंजन कर) – 56%, CAGR की दर से घटी है, जबकि गैर कर राजस्व मदों में किराया प्राप्तियाँ 11.4%, और बाजार शुल्क तथा अन्य प्राप्तियाँ 1% से अधिक चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी हैं।

**8.46** 2017–22 के बीच जनपद पंचायतों की समुदेशित प्राप्तियाँ, प्रति जनपद पंचायत प्रति वर्ष औसत 3.12 करोड़ रु. थी, इस दौरान गौण खनिज की रॉयल्टी से प्राप्त समनुदेशित राजस्व में घटने की प्रवृत्ति जबकि स्टाम्प और पंजीयन शुल्क से अनुदान में बढ़ने की प्रवृत्ति में लक्षित होती है।

**8.47** राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से जनपद पंचायतों को वितरित राशि का लगभग 50%, पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय हेतु अंतरित हुआ है, जबकि जनपद पंचायत विकास निधि मद में 20% से अधिक राशि का अंतरण हुआ है।

**8.48** सैंपल जनपद पंचायतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 2017–22 के बीच जनपद पंचायतों के राजस्व व्यय में 1.61%CAGR की दर से वृद्धि हुई है, जनपद पंचायतों का राजस्व व्यय लगातार बढ़ता गया है, तथा कुल व्यय के लगभग 20% के स्तर पर है, जबकि इस अवधि में जनपद पंचायतों के पूंजीगत व्यय में -8.54% CAGR की दर से कमी हुई है, और यह कुल व्यय का 3% के स्तर पर है। जनपद पंचायतों के व्यय की सबसे बड़ी मद, राज्य सरकार से योजनाओं में प्राप्त राशि का व्यय है, जो कि कुल व्यय 33% से अधिक है।

**8.49** जनपद पंचायतें अपने कुल राजस्व व्यय का लगभग 87% स्थापना व्यय पर जबकि 7% संधारण व्यय पर खर्च कर रही हैं। स्थापना व्यय 1.59%CAGR जबकि संधारण व्यय 5.50%CAGR की दर से बढ़ रहा है।

## तालिका 8.13
## सैंपल जनपद पंचायत व्यय की प्रवृत्तियाँ

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र | विवरण | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत |
| 1. | राजस्व व्यय | 49.42 | 20.11 | 46.65 | 17.38 | 48.43 | 20.45 | 52.98 | 20.46 | 52.68 | 22.08 |
| 2. | पूंजीगत व्यय | 9.41 | 3.83 | 9.03 | 3.36 | 4.51 | 1.91 | 8.23 | 3.18 | 6.58 | 2.76 |
| 3. | राज्य सरकार से योजना में प्राप्त राशि का व्यय | 90.47 | 36.82 | 94.42 | 35.19 | 78.25 | 33.05 | 79.87 | 30.85 | 78.22 | 32.79 |
| 4. | सांसद निधि विधायक निधि का व्यय | 56.49 | 22.99 | 66.63 | 24.83 | 70.60 | 29.82 | 75.16 | 29.03 | 56.07 | 23.51 |
| 5 | ग्राम पंचायतों को राशि का अंतरण | 39.91 | 16.24 | 51.61 | 19.23 | 34.96 | 14.77 | 42.67 | 16.48 | 45.00 | 18.86 |
| योग | | 246 | 100.00% | 268.35 | 100.00% | 236.76 | 100.00% | 258.92 | 100.00% | 238.55 | 100.00% |

स्रोत :– आयोग द्वारा एकत्रित समंक

## प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष

8.50 अंतिम शेष के संदर्भ में जनपद पंचायतों की स्थिति भी ग्राम पंचायतों के समरूप ही है। वर्ष 2017–18 में प्रतिदर्श जनपद पंचायतों का अंतिम शेष 545.81 करोड़ था, जो 2021–22 में बढ़कर 1408.78 करोड़ हो गया।

## तालिका 8.14
## प्रतिदर्श सैंपल जनपद पंचायत का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष

(राशि करोड़ रू. में)

| विवरण | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 3,82.98 | 5,45.81 | 7,39.69 | 8,61.35 | 11,30.26 |
| अंतिम शेष | 5,45.81 | 7,39.69 | 8,61.35 | 11,30.26 | 14,08.78 |

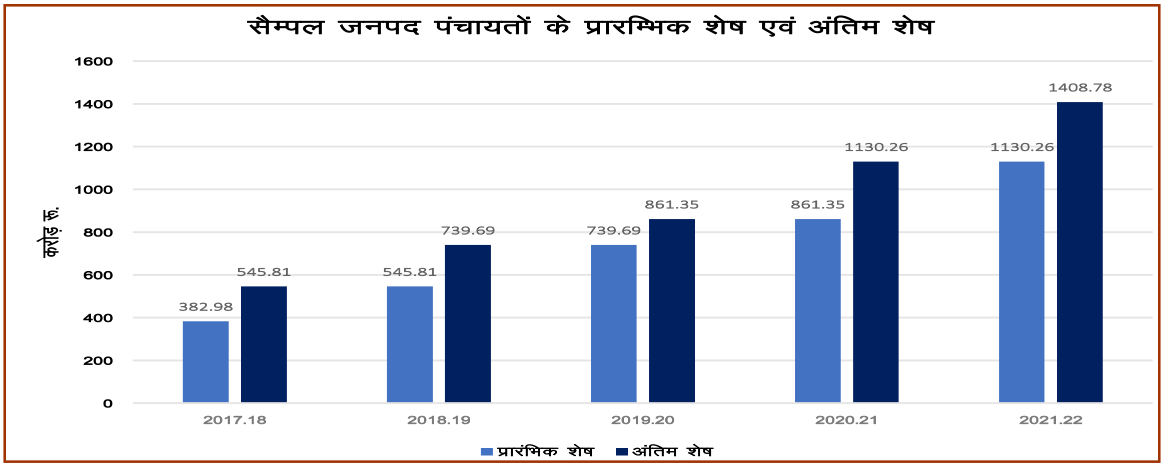

## जिला पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा

8.51 जिला पंचायतों के कराधान संबंधी अधिकार अत्यंत सीमित हैं। जिला पंचायतों को मात्र भू–राजस्व पर अधिभार बढ़ाने का अधिकार है, जिसका वितरण से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को करती है, इसके अतिरिक्त गैर कर राजस्व स्रोत के अंतर्गत जिला पंचायतें तालाबों को मत्स्य पालन हेतु किराये या पट्टे पर दे सकती हैं।

8.52 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अपने सर्वेक्षण में 19 जिला पंचायतों को सैंपल साइज के रूप में शामिल किया है। जिला पंचायतें पूरी तरह राज्य सरकार से अंतरण तथा केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं से प्राप्त निधियों पर आश्रित हैं। सैंपल जिला पंचायतों में 2017–22 के बीच प्रति जिला पंचायत प्रति वर्ष मात्र 16,168 रू. स्वयं के राजस्व स्रोत के रूप में प्राप्त किया, जिसका अधिकांश हिस्सा, जिला पंचायतों द्वारा स्वयं के गैर कर राजस्व से प्राप्त किया है। 2017–22 के बीच सैंपल जिला पंचायतों में से प्रति जिला पंचायत को प्रति वर्ष कुल 106.23 करोड़ रू. प्राप्त हुआ, जिसमें 74.93 करोड़ रू. राज्य सरकार से अंतरण तथा 34.3 करोड़ रू. केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं से प्राप्त राशि का हिस्सा है। इन पांच वर्षों में जिला पंचायतों को प्राप्त राशि में औसत 70% हिस्सा राज्य सरकार से अंतरित राशि का है।

### तालिका 8.15
### सैंपल जिला पंचायतों की प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रू. में)

| | विवरण | 2017–18 | | 2018–19 | | 2019–20 | | 2020–21 | | 2021–22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राशि (करोड़ रू.) | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत | राशि (करोड़ रू.) | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत | राशि (करोड़ रू.) | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत | राशि (करोड़ रू.) | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत | राशि (करोड़ रू.) | कुल प्राप्तियों में प्रतिशत |
| I | स्वंय के स्त्रोत से प्राप्तियाँ (1+2) | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |
| 1 | कर राजस्व | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | गैर कर राजस्व | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |
| II | राज्य सरकार से अंतरण(3+4+5+6+7+8) | 1832.0 | 76.4 | 1403.0 | 73.2 | 1283.0 | 59.7 | 1120.6 | 59.5 | 1195.0 | 68.4 |
| 3 | समनुदेशित प्राप्तियाँ | 89.0 | 3.7 | 53.6 | 2.8 | 82.4 | 3.8 | 59.2 | 3.1 | 60.9 | 3.5 |
| 4 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्तियाँ | 400.9 | 16.7 | 339.5 | 17.7 | 230.3 | 10.7 | 192.3 | 10.2 | 294.4 | 16.9 |
| 5 | राज्य सरकार से किसी योजना से प्राप्त राशि | 472.4 | 19.7 | 270.2 | 14.1 | 174.7 | 8.1 | 107.7 | 5.7 | 105.4 | 6.0 |
| 6 | संसद/विधायक निधि | 7.8 | 0.3 | 7.6 | 0.4 | 12.6 | 0.6 | 9.0 | 0.5 | 8.5 | 0.5 |
| 7 | ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण हेतु प्राप्त राशि | 193.7 | 8.1 | 101.6 | 5.3 | 257.3 | 12.0 | 143.7 | 7.6 | 147.1 | 8.4 |
| 8 | अन्य अनुदान | 668.1 | 27.9 | 630.3 | 32.9 | 525.6 | 24.4 | 608.6 | 32.3 | 578.6 | 33.1 |
| III | केंद्र सरकार से अंतरण (13वें 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा) | 564.9 | 23.6 | 512.2 | 26.8 | 867.0 | 40.3 | 761.7 | 40.5 | 550.8 | 31.6 |
| IV | कुल योग(I+II+III) | 2397.2 | 100 | 1915.3 | 100 | 2150.0 | 100 | 1882.3 | 100 | 1745.8 | 100 |

स्रोत :– आयोग द्वारा एकत्रित समंक

8.53 जिला पंचायतों के व्यय का सबसे बड़ा घटक, राज्य सरकार से योजनाओं में प्राप्त राशि का व्यय हैं, तत्पश्चात् क्रमशः ग्राम पंचायतों को राशि का अंतरण तथा राजस्व व्यय, व्यय के प्रमुख घटक है। 2017–22 के बीच जिला पंचायतों के कुल व्यय में –20.5% CAGR की दर से कमी आयी है, जिला पंचायतों के व्यय के सभी घटकों में कमी हुई है। इस अवधि के दौरान जिला पंचायतों के संधारण व्यय में –67.35% CAGR. तथा स्थापना व्यय में -12-58% CAGR. की कमी हुई है। ध्यातव्य है कि 2017–22 के बीच, प्रति जिला पंचायत, प्रति वर्ष औसत 223.45 करोड़ रूपये व्यय हुए, जिसमें राजस्व व्यय, प्रति जिला पंचायत प्रति वर्ष औसत 33.61 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय प्रति जिला पंचायत प्रति वर्ष औसत 8.7 करोड़ रूपये है।

## तालिका 8.16
## सैंपल जिला पंचायत व्यय की प्रवृत्तियाँ

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र. | विवरण | 2017-2018 | | 2018-2019 | | 2019-2020 | | 2020-2021 | | 2021-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत |
| 1 | राजस्व व्यय | 282.42 | 21.14 | 266.05 | 26.20 | 43.72 | 6.23 | 17.07 | 2.59 | 29.45 | 5.52 |
| 2 | पूंजीगत व्यय | 56.46 | 4.23 | 40.48 | 3.99 | 28.12 | 4.01 | 22.10 | 3.35 | 17.74 | 3.33 |
| 3 | राज्य सरकार से योजना में प्राप्त राशि का व्यय | 637.17 | 47.70 | 416.72 | 41.03 | 225.69 | 32.17 | 274.95 | 41.68 | 190.86 | 35.79 |
| 4 | सांसद/विधायक निधि का व्यय | 7.37 | 0.55 | 6.53 | 0.64 | 11.28 | 1.61 | 8.15 | 1.24 | 7.43 | 1.39 |
| 5 | ग्राम पंचायतों को राशि का अंतरण | 352.39 | 26.38 | 285.80 | 28.14 | 392.67 | 55.98 | 337.36 | 51.14 | 287.73 | 53.96 |
| | **कुल** | **1335.81** | **100.00** | **1015.57** | **100.00** | **701.48** | **100.00** | **659.62** | **100.00** | **533.21** | **99.99** |

### प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष

8.54 आयोग द्वारा संकलित समंको के आधार पर 2021–22 में क्रमशः बढ़ते हुए 6109.29 करोड़ रू. अंतिम शेष है। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2020–21 का वर्षवार अंतिम शेष की जानकारी तालिका 8.17 में देखा जा सकता है।

8.55 त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतिम शेष के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायतों में 1784.77 करोड़ जनपद पंचायतों में 1408.78 करोड़ रू तथा जिला पंचायत में 6109.29 करोड़ रू. अंतिम शेष है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लेखों में मार्च 2022 की स्थिति में ग्राम पंचायत में रू. 3500 करोड़, जनपद पंचायत में रू. 2056 करोड़ तथा जिला पंचायतों में रू 90003 करोड़ कुल रू. 14,559 करोड़ शेश राशि उपलब्ध होने का अनुमान है। जिस पर गंभीर चिंतन आवश्यक है।

8.56 ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2022 में 14,559 करोड़ का अंतिम शेष अनुमानित है। ग्राम पंचायतों से प्राप्त संमंक के अनुसार गैर कर राजस्व आय में, ब्याज से प्राप्त राशि का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है। अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त ब्याज राशि के व्यय करने हेतु नियम बनाये जाएं"।**

## तालिका 8.17
## प्रतिदर्श सैंपल जिला पंचायत की प्रारंभिक एवं अंतिम शेष

(राशि करोड़ रू. में)

| विवरण | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 2,64.22 | 13,25.64 | 22,25.37 | 36,73.94 | 48,96.66 |
| अंतिम शेष | 13,25.64 | 22,25.37 | 36,73.94 | 48,96.66 | 61,09.29 |

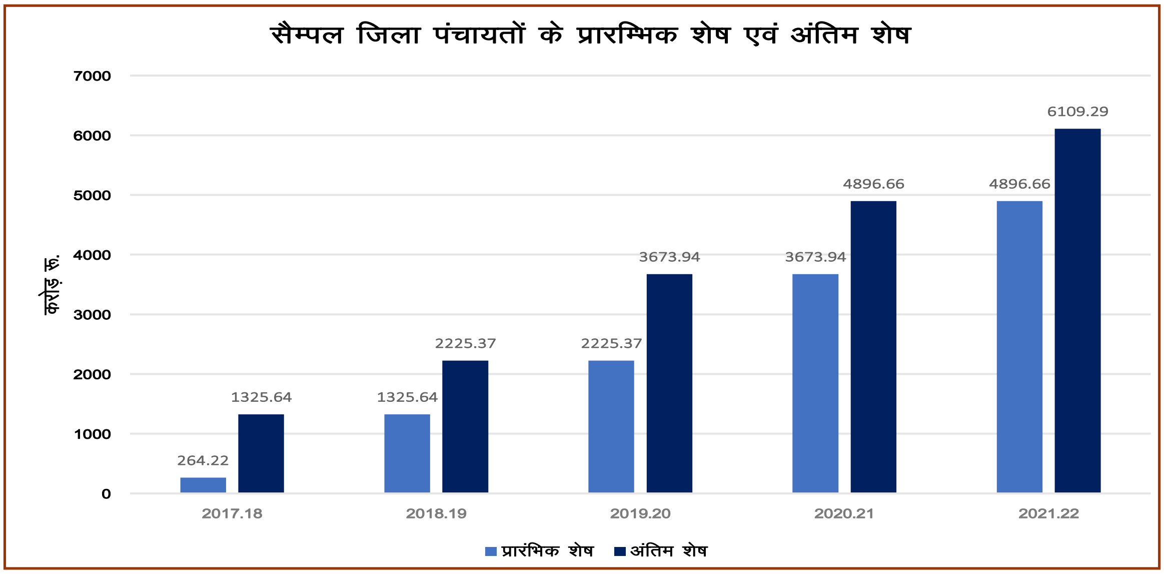


## लेखांकन एवं अंकेक्षण

**8.57** अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउटेंट्स के अनुसार "लेखांकन का संबंध उन लेन–देन एवं घटनाओं जो पूर्ण से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते है, जिसको मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षिप्त में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है।" इस तरह लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषण करने की ऐसे प्रक्रिया है, जिसके आधार पर इसके उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते है। इसी संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं के लेखांकन का मूल्यांकन किया गया है।

**8.58** छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 95 के अध्याधीन निर्मित पंचायत लेखांकन नियम 1999 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में लागू है।

**8.59** पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन एवं लेखा संधारण मानक स्तर पर नहीं है, जिसके कारण सुसंगत आंकड़े प्राप्त नही होते हैं, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"पंचायत संस्थाओं में बजट तथा लेखांकन के वर्गीकरण हेतु शासन द्वारा नियम बनाए जायें, जिसमें लेखांकन के वर्गीकरण की विधि, शासन के लिए बनाए गये वर्गीकरण के अनुरूप हो"। इस हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें महालेखाकार, वित्त विभाग, संचालक–राज्य संपरीक्षा तथा पंचायत विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।**

8.60 **पंचायतों में बजट तथा लेखांकन के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाए, जिससे लेखा एवं लेखा संधारण में एकरूपता, गुणवत्ता, शुद्धता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और नीति निर्धारण हेतु विश्वसनीय समंक प्राप्त किया जा सके।**

8.61 वर्तमान में भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्मित ई–ग्राम स्वराज एप्लीकेशन में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि का लेखांकन किया जा रहा है। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि, स्वयं के राजस्व से प्राप्त राशि तथा विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि का लेखांकन मेनुअली किया जा रहा है।

8.62 पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन तथा लेखा संधारण का दायित्व पंचायत सचिव का है। ग्रामीण स्थानीय निकाय में लेखांकन एवं लेखा संधारण निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है। इससे मदवार आय एवं व्यय, प्राप्त अनुदान का उपयोग आदि की सुसंगत जानकारी प्राप्त करना संभव नही है। आयोग द्वारा एकत्र आंकड़े जो आय एवं व्यय से संबंधित में अन्य प्राप्तियां तथा अन्य व्यय में वर्गीकृत है जो लगभग एक तिहाई है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है।

8.63 पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन की गुणवत्ता संतोषप्रद नही है। लेखांकन की शुद्धता एवं पारदर्शिता के आभाव में पंचायती राज संस्थाओं के समंको की विश्वसनीयता मानक स्तर की नहीं है।

8.64 छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा स्थानीय निकायों के वैधानिक अंकेक्षक तथा स्थानीय निकायों को सौंपे गये समस्त कार्यो के अंकेक्षण का संवैधानिक दायित्व है।

8.65 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है।

8.66 वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं की वित्त वर्ष 2021–22 की अवधि में लंबित लेखा परीक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :–

## तालिका 8.18
## पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षण की स्थिति

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र. | निकाय | निकायो की कुल संख्या | लंबित वित्तीय वर्षो की संख्या | वित्तीय वर्ष 21–22 में अंकेक्षित निकाय के वित्तीय वर्षो की संख्या | शेष लंबित वित्तीय वर्षो की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला पंचायत | 27 | 174 | 10 | 164 |
| 2 | जनपद पंचायत | 146 | 895 | 82 | 813 |
| 3 | ग्राम पंचायत | 11321 | 162792 | 446 | 162346 |
| | **योग** | **11494** | **163861** | **538** | **163323** |

स्रोत :– छ.ग. राज्य संपरीक्षा संचालनालय से प्राप्त जानकारी

8.67 भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश पर केन्द्रीय वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशि का अंकेक्षण ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है। दिनांक 01.03.2023 की स्थिति में 10361 पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण किया जा चुका है।

8.68 ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंकेक्षण केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि से संचालित कार्यों का है। जो पंचायती राज संस्थाओं के लेन–देन का 45 से 70 प्रतिशत है।

8.69 स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षण के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का निपटारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10(2) के अंतर्गत किया जाता है। विगत पांच वर्षो के अंकेक्षण आपत्तियों तथा निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

### तालिका 8.19
### पंचायती राज संस्थाओं में विगत 05 वर्षो से आपत्तियों की जानकारी

(राशि करोड़ रू. में)

| निकाय | अवशेष आपत्ति | | विगत 05 वर्षो में उत्थापित आपत्तियां | | विगत 05 वर्षो में निराकृत आपत्तियां | | वर्तमान में अवशेष आपत्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| जिला पंचायत | 21124 | 4975.55 | 1076 | 1243.61 | 316 | 757.86 | 21884 | 5461.31 |
| जनपद पंचायत | 36578 | 1988.55 | 12110 | 1978.77 | 2273 | 310.74 | 46415 | 3656.58 |
| ग्राम पंचायत | 127740 | 402.21 | 119708 | 686.12 | 36950 | 124.82 | 210498 | 963.51 |
| योग | **185442** | **7366.31** | **132894** | **3908.52** | **39539** | **1193.43** | **278797** | **10081.40** |

स्रोत :– छ.ग. राज्य संपरीक्षा संचालनालय से प्राप्त जानकारी

8.70 राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण उपरांत वर्तमान में कुल दर्ज आपत्तियों की संख्या 278797 है, जिससे लगभग 100841 करोड़ रूपए की राशि परीक्षण के अधीन है।

## मानव संसाधन

8.71 ग्राम पंचायतें स्वयं के संसाधन से कर्मचारियों की नियुक्ति में पर्याप्त सक्षम नहीं हैं, हाँलाकि राज्य निर्माण के समय की तुलना में ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के संसाधन से कर्मचारियों की नियुक्ति की संख्या तथा प्रतिशतता दोनों ही दृष्टिकोण से प्रगतिशील है।

8.72 ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के संसाधन से कर्मचारियों की नियुक्ति में अत्यधिक क्षेत्रीय विषमताएँ हैं। ऐसे जिले जो अपने स्थानीय संसाधनों के उपयोग तथा अपने कर संग्रहण वृद्धि करने में सक्षम हो रहे हैं वहाँ ऐसी नियुक्तियों की संख्या तथा प्रतिशतता उच्च है, जबकि अन्य जिले जो विकास की समस्याओं से ग्रस्त हैं, तथा पंचायत प्रणाली गुणवत्तापूर्ण कार्य में सक्षम नहीं हैं, वहाँ ऐसी नियुक्तियाँ न्यून स्तर पर हैं।

8.73 गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतें स्वयं के संसाधनों से कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सार्थक प्रयास कर रही हैं, परंतु अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतें ऐसी नियुक्तियों के लिए सक्षम नहीं रही हैं। राज्य में ग्राम पंचायतों में संसाधन न्यूनता, उपलब्ध संसाधनों के समुचित दोहन में असमर्थता, निम्न कर संग्रहण क्षमता, आवश्यक मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न स्तर, तथा पंचायत प्रतिनिधियों में नवाचारी प्रगति हेतु महात्वाकांक्षा और प्रेरणा

का अभाव, ग्रामीण आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देता हैं। पंचायती राज संस्था आधारित ग्राम विकास संवहनीय तथा स्थायी विकास की नींव रख सकता हैं, इस दृष्टिकोण को इस अध्ययन से समर्थन मिलता हैं।

8.74 पंचायतों के कार्यों के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु, मानव संसाधन की उपलब्धता, के संदर्भ में भी पंचायती राज संस्थाएं समस्याग्रस्त हैं। प्रदेश में 11,664 ग्राम पंचायतों में से अधिकांश ग्राम पंचायतें अपने स्वयँ के संसाधनों से भी मानव संसाधन की व्यवस्था कर सकने में सक्षम नहीं हैं। प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या अधिक है, अतः राज्य शासन द्वारा पंचायतों में अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु वित्तीय व्यवस्था करना भी, संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए संभव प्रतीत नहीं होता है, अतः **आयोग की अनुशंसा करता है कि "ग्राम पंचायतों की संख्या सीमित करने पर विचार किया जाए तथा ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन, जनसंख्या और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर किया जाए। पेसा (PESA) तथा गैर पेसा ग्राम पंचायतों के लिए जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन हेतु भिन्न–भिन्न सीमायें निर्धारित किया जाना उचित होगा।"** यहाँ उल्लेखनीय है कि उड़ीसा राज्य में 6,798 ग्राम पंचायतें तथा मध्यप्रदेश में 22,695 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 11,664 ग्राम पंचायतें हैं, जो आनुपातिक रूप से अधिक है।